

सेवा में,

THE HON'BLE JUSTICE महोदय जी,

HON'BLE CHAIRPERSON PPS TO HON'BLE CHAIRPERSON

NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH NEW DELHI-110001.

विषय:- मान्यवर जी उक्त सलंग्न फोटोग्राफ्स जो NAYARA ENERGY COMPANY व स्थानीय अवैध खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन कर लाखों पेड़ पौधों को नष्ट करके अवैध रूप से खनन करने के सम्बंध में उक्त फोटोग्राफ्स को माननीय न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या original Application no.- **539/2022** में शामिल पत्रावली करने की कृपा करके न्यायसंगत विधिसम्मत निर्णय फरमाने की कृपा करें व उचित सकारात्मक निर्णय फरमाने की कृपा फरमावे।

मान्यवर जी,

मान्यवर जी आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त फोटोग्राफ्स प्रकरण माननीय न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या-539/2022 में शामिल पत्रावली करके उचित निर्णय की कृपा फरमावे। मान्यवर जी हमारे क्षेत्र व मेरे गांव के आस पास के इलाकों में आज भी अवैध खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है जिनसे लगातार हजारों पेड़ पौधों का लगातार विनाश करके हमारे गांव के पर्यावरण के विरुद्ध जाकर आस पास के वातावरण को लगातार प्रभावित किया जा रहा है फिर भी स्थानीय प्रशासन मौन है। उक्त फोटोग्राफ्स मेरे स्वयं के द्वारा दिनांक- 03.06.2023 को ली गई है इनके साथ ओर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मैं नहीं पहुंच सकता क्योंकि इन खनन माफियाओं की प्रशासन में व राजनीतिक पहुंच बहुत लंबी है और इन खनन माफियाओं को उक्त nayara energy company का भी भरपूर सहयोग रहता है क्योंकि इन अवैध खनन माफियाओं के द्वारा इस कम्पनी को करोड़ों रूपये की अवैध खनन आस पास के सरकारी सार्वजनिक तालाब नाडी नाडा ओरण गौचर आदि स्थानों से अवैध खनन कर इस कम्पनी को फायदा पहुंचाया है इसलिए इस कम्पनी के द्वारा इन खनन माफियाओं को प्रशासनिक व राजनीतिक सह दी हुई इसलिए इन खनन माफियाओं व उक्त नायरा एनर्जी कम्पनी के खिलाफ सरकारी मशीनरी किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरे द्वारा आपके न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने पर मुझे कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिली है कम्पनी के इन खनन माफियाओं के द्वारा इसलिए मैं बाकी अन्य ओर भी विस्तृत अवैध खनन कर लाखों पेड़ पौधों को नुकसानकरित करके पर्यावरण को नुकसान किया जा रहा है वहाँ में नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि वहां जाकर फोटोग्राफ लेना मेरी जान से हाथ धोना है इसलिए मान्यवर जी उक्त फोटोग्राफ्स को शामिल पत्रावली करके सकारात्मक निर्णय फरमावे ओर इन अवैध खनन माफियाओं व नायरा एनर्जी कम्पनी पर कठोर से कठोर कार्यवाही फरमाने की कृपा फरमावे।

दिनांक:- 04.06.2023

सलंग्न:- उपरोक्तानुसार

न्याय की उम्मीद में



ओमाराम बंजारा पुत्र श्री मंगलाराम

मु.पो.-चोटिला, तहसील-रोहट, जिला-पाली(राज.)306421

मो.न.-9269796171







